

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नंबर 2 से 5.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4360/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (निदेशक की नियुक्ति तथा वेतन और भत्ते) नियम, 2021, जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 40 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4361/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021, जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टैबलाइजर नियम, 2021, जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4362/17/21]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 350(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एनसीआर में चूना भट्टियों में पेट कोक के विक्रय और उपयोग के बारे में हैं ।

(दो) का.आ. 2(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 2239(अ) जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) में, उसमें

उल्लिखित, संशोधनों के बारे में है ।

(चार) का.आ. 2353(अ) जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए गठन किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 4363/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4364/17/21]

—————